विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
06-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ स्थित विकास नगर सेक्टर-6 के पार्क के पीछे मकान संख्या-6/64 एवं मकान संख्या-6/347 के पास ठीक चौराहे की मोड पर रोड की 03 मीटर चौड़ाई को लोहे की ग्रिल की दीवार से घेरते हुये लगभग 250 वर्ग फुट पर कुछ व्यक्तियों/संस्था द्वारा कब्जा कर वहीं पर एक टावर भी लगाया गया है ?	जी हॉ। नगर निगम, लखनऊ के सीमान्तर्गत विकास नगर सेक्टर-6 में स्थित मकान सं0-6/647 एवं मकान सं0-6/347 आस-पास हैं। मकान सं0-6/647 के सामने टावर लगाने की अनापत्ति का प्रमाण-पत्र नगर निगम, द्वारा दिनांक 08.05.2017 को जारी किया गया था। परन्तु संज्ञान में आया है कि यह टावर मकान सं0-6/347 के सामने लगा दिया गया है। टावर हटा कर अनापत्ति दिये गये भवन के सामने लगाने हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक-04.07.2022 को नोटिस भेज दी गई है। तत्श्चात दिनांक-16.09.2022 को पुनः नोटिस जारी की गयी है। टावर लगाने वाली फर्म ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2022 द्वारा टावर शिफ्ट किये जाने हेतु एक माह का समय मांगा गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत टावर शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कब्जा एवं टावर का अधिष्ठापन वैध है अथवा अवैध ?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि वैध है, तो क्या इससे सम्बन्धित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगें ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि अवैध है, तो क्या उक्त अतिक्रमण को हटाया जायेगा ?	उपरोक्तानुसार।
(ड) यदि हॉ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(च) यदि नही, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

ए0के0 शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।

BL-question ka ans & letter